139

माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की दिनांक–04.07.2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे एम0डी0आई0 भवन के प्रथम तल पर स्थित सभागार में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. बैठक में उपस्थिति:–

क्र.सं.	नाम	समिति में धारित पद	उपस्थिति
01.	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	उपस्थित
02.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।	उपाध्यक्ष	अनुपस्थित
03.	सचिव,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	उपस्थित
04.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	अनुपस्थित
05.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	उपस्थित
06.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	अनुपस्थित
07.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	विशेष आमंत्रित	उपस्थित
08.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	अनुपस्थित
09.	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
10.	श्री मुरलीधर कोटवार, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
11.	श्री धर्मराज सिंह, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्, नेतरहाट विद्यालय समिति।	सदस्य	उपस्थित
12.	प्रो. वैद्यनाथ लाभ, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
13.	डॉ. आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
14.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

01/08/25

सर्वप्रथम सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया एवं तदोपरांत माननीय विभागीय मंत्री की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

02. दिनांक–19.06.2025 को माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष दिये गये प्रस्तुतीकरण के आलोक में नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली में संशोधन के निमित्त विमर्श हेतु दिनांक– 01.07.2025 को किये गये Internal बैठक की जानकारी माननीय विभागीय मंत्री को दी गई एवं बताया गया कि नियमावली में वांछित संशोधन से संबंधित कार्रवाई की जा रही है।

03. माननीय विभागीय मंत्री के निदेश के आलोक में कार्यकारिणी समिति में लिये गये किसी भी निर्णय के Execution के पूर्व कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही पर माननीय विभागीय मंत्री की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

04. विद्यालय में होने वाले असैनिक कार्य के लिए गठित निविदा समिति की जानकारी प्राचार्य से प्राप्त की गई एवं कितनी राशि तक की निविदा का निष्पादन नेतरहाट विद्यालय समिति स्तर से की जाती है एवं कितनी राशि की निविदा का कार्य भवन निर्माण विभाग से करायी जाती है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की गई। प्राचार्य को निदेशित किया गया कि विद्यालय के शिक्षकों को निविदा के कार्यों से पूरी तरह से अलग रखा गया जाय, ताकि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित न हो।

05. विद्यालय की दैनिक आवश्यकताओं यथा–खाद्यान्न आपूर्ति, दुग्ध, फल, सब्जी आदि एवं स्टेशनरी की आपूर्ति से संबंधित निविदा का निष्पादन पूर्ववत्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

06. विद्यालय में असैनिक कार्य के लिए आवश्यकता अनुरूप 20 लाख रूपये तक की निविदा का कार्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से तथा 20 लाख रूपये से ऊपर के कार्य हेतु योजना के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के माध्यम से झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

07. नेतरहाट आवासीय विद्यालय के भूमि के अतिक्रमण से संबंधित विषय पर प्राचार्य को निदेशित किया गया कि भूमि के अतिक्रमण को रोकने हेतु उपायुक्त, लातेहार के साथ बैठक कर तत्काल भूमि का सीमांकन कराने का कार्य करेंगे। भूमि के सीमांकन कार्य में नेतरहाट विद्यालय समिति Logistic Support करेगी।

08. CBSE द्वारा जारी वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाफल, 2025 के विचार–विमर्श के क्रम में परीक्षाफल में हुए गिरावट पर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। गणित विषय में विद्यालय में 04 शिक्षकों के रहने के बावजूद विद्यार्थियों की अनुत्तीर्णता एवं रसायन शास्त्र में 03 शिक्षकों के रहने के बावजूद छात्रों की अनुत्तीर्णता को गंभीरता से लिया गया। छात्रों की अनुत्तीर्णता इस बात का द्योतक है कि शिक्षक अपने शिक्षण

कार्य के प्रति पूर्ण सजग नहीं है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय सचिव द्वारा प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि जिन विषयों में छात्र अनुतीर्ण हुए है एवं जिनका परिणाम 80% से कम है, उनके संबंध में संबंधित विषय के शिक्षक पूर्णतः जिम्मेवार है; अतएव उन्हें अविलम्ब स्पष्टीकरण प्रेषित करते हुए यथोचित कारवाई की जाय। साथ ही वर्ष 2024–25 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनके शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु वर्षवार शैक्षणिक कक्षाओं को संतुलित किये जाने एवं एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 245 दिन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किये जाने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

09. शिक्षाविदों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया, जो विद्यालय जाकर विद्यार्थियों के खराब Performace पर एक सप्ताह विद्यालय में रहकर सभी तथ्यों / बिंदुओं का Review / जांच करके विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगी। समिति यह अध्ययन करेगी कि विद्यालय में वर्तमान पठन–पाठन व्यवस्था में क्या खामियाँ हैं, जिससे पिछले वर्षों में विद्यार्थियों का परिणाम खराब हुआ है। समिति द्वारा विद्यालय Visit के पश्चात् 15 दिनों के अंदर सुधारात्मक उपायों हेतु सुझाव विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। समिति की संरचना निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

i.	श्री मुरलीधर कोटवार
ii.	श्री आशिष आलोक
iii.	डॉ. (प्रो.) प्रिय रंजन
iv.	श्री मजहर अली
v.	श्री राजेश कुमार राय

समिति के सदस्यों के लिए Logistic, आवासन आदि की समुचित व्यवस्था विद्यालय करेगी।

10. विद्यालय के आश्रमों तथा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवासों के जीर्णोद्धार तथा चतुर्थवर्गीय कर्मियों हेतु आवश्कता के अनुरूप नये आवास के निर्माण के साथ ही विद्यालय के मुख्य भवन परिसर की सुरक्षा हेतु पक्के चाहरदिवारी के निर्माण के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया कि एक विस्तृत प्रस्ताव विभाग को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभागीय स्तर पर तत्संबंधी कार्रवाई की जा सके।

11. कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा नीट, जे0ई0ई आदि की तैयारी हेतु किसी कोचिंग संस्थान की मदद लेने के बजाय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु इच्छुक छात्रों के लिए वर्चुअल कोचिंग की व्यवस्था करने का निदेश प्राचार्य

को दिया गया। वर्चुवल मोड में पढ़ाई हेतु विद्यालय में स्थान चिन्हित कर Studio बनाने हेतु उपायुक्त, लातेहार से संपर्क कर आवश्यकतानुसार D.M.F.T Fund अथवा जिला में उपलब्ध अन्य निधि से राशि की व्यवस्था करने का सुझाव प्राचार्य को दिया गया।

12. विद्यालय में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की संख्या नहीं होने के कारण शिक्षकों के नियमित नियुक्ति होने तक छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए तत्काल विशेषज्ञ शिक्षकों/पूर्ववर्ती छात्रों से भौतिक रूप से/वर्चुअल मोड में कक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(संतोष कुमार)	**(उमा शंकर सिंह)**	**(रामदास सोरेन)**
प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव,	सचिव,	मंत्री,
नेतरहाट विद्यालय समिति,	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
नेतरहाट।	झारखण्ड, रांची,	झारखण्ड सरकार

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

सामान्य निकाय ,नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक–04.07.2025 को आहूत 14वीं बैठक की उपस्थितिः

क्र.सं.	नाम	समिति में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री रामदास सोरेन, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	04/07/2025
2.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रांची।	उपाध्यक्ष	
3.	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	04/07/25
4.	निदेशक (मा. शि.) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	विशेष आमंत्रित सदस्य	4.7.2025
5.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	
6.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	04/07/25
7.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	
8.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	
9.	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय	सदस्य	G. Prasad 4/7/25

	विद्यालय, नेतरहाट।		
10.	श्री मुरलीधर कोटवार, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	04/07/2025
11.	श्री धर्मराज सिहं, स्ष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्, नेतरहाट विद्यालय समिति।	सदस्य	4/7/25
12.	प्रो. बैद्यनाथ लाभ, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	4/7/25
13.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	04.07.25
14.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	प्राचार्य सह–सदस्य सचिव	04/07/25